सुलभ और सुगम्य

डॉ जितेंद्रन एस

विविधतापूर्ण और मिले जुले समाज में सरकार का लक्ष्य अपने नागरिकों को सभी सुविधाओं तक समान पहुंच उपलब्ध कराना होता है। जब बात सार्वजनिक क्षेत्र के डिज़ाइनों की आती है तो शारीरिक अक्षमताओं वाले-दिव्यांगजनों के लिए बनाई जाने वाली बुनियादी ढांचागत सुविधाओं में वास्तुकला का एक भिन्न आयाम अपनाना होता है। इसके लिए जनसंख्या के उस वर्ग विशेष की आवश्यकताओं को देखते हुए अलग मानक रखने होते हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय सबके लिए समान रूप से उपयोगी और सुविधाजनक निर्माण के श्रेष्ठ डिज़ाइन बनाने की क्षमताएं विकसित करने में लगा है। भारत ने भी सबके लिए तैयार किए जाने वाले डिज़ाइनों के स्थायी लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयास के अंतर्गत 'सुगम्य अभियान' आरंभ करके बड़ी पहल शुरू कर दी है।

हर क्षेत्र में विविधता मौजूद है। चाहे संस्कृति की बात करें या भाषा की अथवा जलवायु या स्थान विशेष की भौगोलिक स्थितियों या फिर लोगों के स्त्री-पुरुष होने अथवा उनकी योग्यताओं और क्षमताओं पर विचार करें-सभी क्षेत्रों में विविधता तो मिलेगी ही। समावेशन की भावना के अंतर्गत सभी लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने और सामुदायिक एकजुटता का भाव जगाना होता है। जब आवासीय स्थान का मुद्दा आता है तो लोगों की जरूरतें और उनकी पसंद संसाधनों और कार्यात्मक ज़रूरतों के मुताबिक अलग-अलग हो जाती हैं। पर ज़्यादातर मामलों में आवासीय समाधान सामान्य उपभोक्ता को ध्यान में रखकर किए जाते हैं न कि विशेष प्रकार की आवश्यकताओं के अनुरूप। आवासीय स्थल के निर्माण में एक मानक दृष्टिकोण अपनाया जाता है जिसमें परंपरागत रूप से ही विशेष जरूरतों वाले लोगों पर ध्यान नहीं दिया जाता। पर जब सार्वजनिक क्षेत्र में आवासीय निर्माण का डिज़ाइन बनाना होता है तो वास्तुकला की अलग विधा का प्रयोग किया जाता है। इसमें देश के विकास के दृष्टिकोण, सरकारी बजट कोष के सूझबूझ से इस्तेमाल और जनसंख्या विशेष की आवश्यकताओं के मानक पर पूरा ध्यान केंद्रित किया जाता है। जब प्रशासक सार्वजनिक सुविधाओं और मकानों को बनाते समय सभी प्रकार की शारीरिक योग्यताओं वाले लोगों पर और उन तक सुविधाएं पहुंचाने की जरूरत पर ध्यान देते हैं तभी उसे सभी के लिए बनाया गया सार्वजनिक अथवा यूनिवर्सल डिज़ाइन माना जाता है। सार्वजनिक या समावेशी डिज़ाइन में सार्वजनिक स्थलों और साधन सुविधाओं के डिज़ाइन तैयार करते समय समग्र और व्यापक दृष्टिकोण रखना पड़ता है।

- अच्छी तरह से प्रकाशित गलियारा
- दृष्टिबाधित दिव्यांगजन के लिए स्पर्शनीय फर्श
- सहारा लेने के लिए डबल ऊँचाई रेलिंग
- व्हीलचेयर की आवाजाही के लिए चौड़ा बाधामुक्त गलियारा

लेखक केरल विश्वविद्यालय के आंबलापुझा गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज में कॉमर्स के सहायक प्रोफेसर और रिसर्च सुपरवाइज़र हैं। वे दृष्टिबाधित दिव्यांगजन हैं। ईमेल : jithenair@gmail.com

दिव्यांग लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेन्शन भी यूनिवर्सल यानी सर्वजनहिताय डिज़ाइनों के विकास को प्रेरित करता है। सभी को सुविधाओं तक पहुंच उपलब्ध कराना मौलिक अधिकार है और इसी कारण से सार्वभौम सरकार का दायित्व बनता है कि इस दिशा में आवश्यक सुधार लागू करे। सदस्य देश भी बाधाओं को सुनियोजित तरीके से समाप्त करें और लोगों की कार्यात्मक क्षमता, उनकी विशेष आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के बारे में सोचे बिना (मारिया, 2018) सभी को ध्यान में रखते हुए समावेशी समाधान खोजें। जब हम उच्च जीवन स्तर वाले लोगों को देखते हैं तो यूनिवर्सल डिज़ाइन जीवन की गुणवत्ता की दृष्टि से निश्चय ही मानक संकेतक की भूमिका निभाता है। नॉर्डिक देश और यूनिवर्सल डिज़ाइन समावेशी विकास के अच्छे उदाहरण हैं। किसी भी स्थिति के लिए समावेशी डिज़ाइन तैयार करने के तीन अहम पहलू होते हैं। पहला है समावेशी नीतियाँ बनाने वालों का सामाजिक दायित्व। दूसरा है, ऐसे बदलाव शुरू करने वाले संगठनों को पुरस्कृत करना और तीसरा अहम पहलू है इस प्रकार की पहलों को स्थायी रूप प्रदान करना।

ऐसे बदलाव लागू करने में बड़ी चुनौती नीति स्तर पर और उसके क्रियान्वयन के स्तर पर इन मानकों पर जोर देने की है। समावेशी डिज़ाइन बनाते समय लोगों को डिज़ाइन का मुख्य आधार बताना ज़रूरी है ताकि इमारतों में स्थान, सड़कें, सार्वजनिक पार्क, उद्यान आदि इस प्रकार से बनाए जाएं कि सभी लोग उनका सरलता से इस्तेमाल कर सकें और उन्हें इनके इस्तेमाल से आराम पहुंचे। समावेशी वास्तुकला पर आधारित इमारतों के निर्माण में एक अन्य बड़ी चुनौती यह होती है कि निर्माण कार्यों में लगे सभी कर्मी अपना काम तो बखूबी समझते और करते हैं लेकिन उन्हें समग्र डिज़ाइन की बारीकियों की जानकारी नहीं होती और इसी वजह से वे यूनिवर्सल डिज़ाइन के हिसाब से छोटे-छोटे बदलाव भी नहीं कर पाते। 'सुगम्य भारत' अभियान इन सभी संभावित खामियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इतनी विविध आवश्यकताओं वाले देश में निर्माण क्षेत्र की मौजूदा चुनौतियों से निपटने की सुनियोजित प्रक्रिया अपनानी ज़रूरी है।

दृष्टिकोण और सिद्धांत

1997 में नॉर्थ कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी के आर्किटेक्टों और डिज़ाइनरों की टीम ने यूनिवर्सल डिज़ाइन के लिए कुछ सिद्धांत तय कर दिए थे। वास्तुकला के किसी भी निर्माण के डिज़ाइन की यूनिवर्सल दृष्टि से उपयुक्तता आंकने के लिए इन सिद्धांतों को कसौटी माना जा सकता है।

- वास्तुकला के किसी भी निर्माण में लोगों की व्यक्तिगत क्षमता या योग्यता को ध्यान में रखे बिना उसके हर व्यक्ति द्वारा समान रूप से इस्तेमाल किए जा सकने का सामर्थ्य होना चाहिए।
- वास्तुकला के किसी भी निर्माण में इस्तेमाल करते समय लचीलापन होना चाहिए।
- वास्तुकला के किसी भी निर्माण में सरलतापूर्वक और सहज अनुमान से इस्तेमाल करने की विशेषता होनी चाहिए।
- वास्तुकला के किसी भी डिज़ाइन में आसानी से समझ आने वाली जानकारी होनी चाहिए और उसका ले-आउट भी सरल ही होना चाहिए।
- वास्तुकला के किसी भी निर्माण में गलतियों को झेलने की क्षमता होनी चाहिए क्योंकि दिव्यांगजनों से गलती या भूलचूक हो सकती है।
- वास्तुकला के किसी भी निर्माण में इस्तेमाल और पहुंच के लिए कम से कम शारीरिक प्रयास की ज़रूरत होनी चाहिए।
- वास्तुकला के किसी भी निर्माण में इस्तेमाल की दृष्टि से पर्याप्त आकार और स्थान होना चाहिए।

यूनिवर्सल डिज़ाइन की व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं के हिसाब से नीतिगत पहल के मामले में सुझाव है कि समय आधारित या चरणबद्ध दृष्टिकोण अपनाया जाए।

सार्वजनिक निर्माण के सभी क्षेत्रों में असल उपयोगकर्ता की फीडबैक यानी राय और सुझाव शामिल कर लेने से दिव्यांगजनों को बेहतर किस्म की प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यूनिवर्सल डिज़ाइन तैयार करने के ऐसे सफल प्रयासों के लिए पुरस्कार और प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए।

सुगम्य भारत अभियान

विश्व दिव्यांगता दिवस पर भारत सरकार ने 3 दिसंबर, 2015 को 'ऐक्सेसिबल इंडिया अभियान' शुरू किया था। इस देशव्यापी अभियान का उद्देश्य विकलांगजनों तक सभी सुविधाएं पहुंचाना था। इस अभियान के तीन प्रमुख अंग थे वातावरण तैयार करना, परिवहन क्षेत्र और आईसीटी इकोसिस्टम बनाना।

निर्मित पर्यावरण पहुँच

शारीरिक दृष्टि से सभी सुविधाएं हर व्यक्ति की पहुंच में लाना न केवल दिव्यांगजनों के लिए बल्कि सभी के लिए लाभकारी है। स्कूल, चिकित्सा सुविधाएं और कार्यस्थल सहित सभी आउटडोर और इनडोर सुविधाओं में आने वाली बाधाएं और रुकावटें दूर करने के उपाय किए जा रहे हैं। आगे चलकर इनमें सड़क, फुटपाथ, पार्क और उद्यान सहित सभी सार्वजनिक स्थान भी शामिल कर लिए जाएंगे।

स्कूल, चिकित्सा सुविधाएं और कार्यस्थल सहित सभी आउटडोर और इनडोर सुविधाओं में आने वाली बाधाएं और रुकावटें दूर करने के उपाय किए जा रहे हैं। आगे चलकर इनमें सड़क, फुटपाथ, पार्क और उद्यान सहित सभी सार्वजनिक स्थान भी शामिल कर लिए जाएंगे।

सुगमतापूर्ण पहुँच वाली सरकारी इमारत वही होती है जहां किसी भी दिव्यांग को प्रवेश करने और वहां की सभी सुविधाएं इस्तेमाल करने में कोई परेशानी या रुकावट महसूस न हो। इनमें निर्माण व्यवस्था से जुड़ी सेवाएं, सीढ़ियां और रैंप, कॉरिडोर, प्रवेश द्वार, आपात निकास और पार्किंग तथा लाइटिंग (प्रकाश व्यवस्था), संकेत चिह्न, अलार्म सिस्टम और टॉयलेट (शौचालय) जैसी इनडोर और आउटडोर सुविधाएं भी शामिल हैं। इस बारे में विशेष तकनीकी निर्देश आईएसओ 2542:2011 में दिए गए हैं, भवन निर्माण-ऐक्सेसिबिलिटी एंड यूज़ेबिलिटी ऑफ द बिल्ट एनवायर्नमेंट अर्थात् भवन निर्माण तक पहुंच और उसे इस्तेमाल करने की सुविधा, इसमें निर्माण, असेंबली, हिस्से पुर्जों और फिटिंग्स के बारे में भी शर्तें और सुझाव शामिल हैं।

इस कार्यक्रम में निर्दिष्ट किया गया है कि इमारतों की पहुंच क्षमता आंकने के लिए वार्षिक ऐक्सेसिबलिटी ऑडिट होने चाहिए ताकि निश्चित हो सके कि इमारत में मान्य मानकों का ठीक से परिपालन किया गया है। दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग भारत के संदर्भ में पहली बार इस आशय का व्यापक कोड तैयार करने में लगा है और यूनिवर्सल डिज़ाइन बनाने की इस प्रक्रिया में 'सुगम्य भारत अभियान' ने उल्लेखनीय योगदान किया है।

मानवनिर्मित भौतिक पर्यावरण से विकलांगों के जीवन में काफी दबाव पड़ रहा है। मौटे तौर पर दिव्यांगता को सामाजिक समस्या माना जाता है इसलिए स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार किसी प्रकार की दया या अहसान नहीं है बल्कि सम्मानित ढंग से जीने का प्राकृतिक अधिकार है। वास्तु,शिल्प के मौजूदा डिज़ाइनों में लोगों की विविध दिव्यांगताओं की अनदेखी कर दी जाती है। वे लोग रोशनी की अपर्याप्त व्यवस्था झेलते हुए ऊबड़खाबड़ पगडंडियों पर ठोकरे खाते हैं और खूबसूरती के लिए बनाई गई अनगिनत घुमावदार सीढ़िया चढ़ने का कष्ट सहते हैं। इस प्रकार वे किसी भी समय दुर्घटना का शिकार बन सकते हैं। इसलिए हमें अपने स्कूल-कॉलेजों, सड़कों, पार्कों, संग्रहालयों, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों और सरकारी कार्यालय आदि के बारे में वास्तुकला की नई कार्ययोजना बनाकर यूनिवर्सल डिज़ाइन अपनाने होंगे। बड़े पैमाने पर लागू करने की विचार-प्रक्रिया चलाकर आगे बढ़ना होगा। डिज़ाइनरों और आर्किटेक्टों को समतावादी धारणा लागू करनी होगी। दिव्यांगता किसी भी समाज या वर्ग में हो सकने वाली समस्या है। वास्तुकला के विशिष्ट मॉडलों में दिव्यांगजनों को ही नहीं बल्कि बच्चों या वृद्धजनों को भी जोखिमभरी बाधाओं की समस्या से जूझना पड़ सकता है। इसी ख्याल से विभिन्न स्तरों पर समावेशी योजनाएं चलाई गई हैं। यूनिसर्वल डिज़ाइनों से अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को भी देश के जाने-माने पर्यटन स्थलों में विश्व समुदाय को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। ■

संदर्भ

1. मारिया मोंटेफस्को (Maria Montefusco) maria.montefusco@nordicwelfare.org प्रकाशक : एवा पर्सोन गोरानसन

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र			
नई दिल्ली	पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	011-24367260
नवी मुंबई	701, सी- विंग, सातवीं मंज़िल, केंद्रीय सदन, बेलापुर	400614	022-27570686
कोलकाता	8, एसप्लानेड ईस्ट	700069	033-22488030
चेन्नई	'ए' विंग, राजाजी भवन, बसंत नगर	600090	044-24917673
तिरुअनंतपुरम	प्रेस रोड, नयी गवर्नमेंट प्रेस के निकट	695001	0471-2330650
हैदराबाद	कमरा सं. 204, दूसरा तल, सीजीओ टावर, कवाड़ीगुड़ा, सिकंदराबाद	500080	040-27535383
बेंगलुरु	फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला	560034	080-25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	0612-2675823
लखनऊ	हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, क्षेत्र-एच, अलीगंज	226024	0522-2325455
अहमदाबाद	4-सी, नेप्चून टॉवर, चौथी मंज़िल, नेहरू ब्रिज कॉर्नर, आश्रम रोड	380009	079-26588669
गुवाहाटी	असम खाड़ी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड, भूतल, एमआरडी रोड, चांदमारी	781003	0361.2668237